

1. Dr Subramaniam Swamy - Letter to UK CM dt. 16.02.2023

DR. SUBRAMANIAN SWAMY Ph.D. (Harvard)
Cabinet Minister for Commerce, Law & Justice (1990-91)
Chairman (with Cabinet rank), Commission on Labour
Standards and International Trade (1994-96)
Former Professor of Economics, Indian Institute of
Technology, Delhi & Faculty, Harvard University
Member of Parliament (Six Terms 1974-2022)



Res.: A-77, Nizamuddin East, New Delhi-110013
Phone: +91 11 35839141
+91 11 35803155
E-mail: swamy39@gmail.com
swamy@post.harvard.edu

16 फरवरी, 2023

सेवा में,
श्री पुश्कर सिंह धामी,
माननीय मुख्य मंत्री, 4 सुभाष रोड,
उत्तराखण्ड सचिवालय, चौथी मंजिल नई इमारत,
देहरादून, उत्तराखण्ड, 248001

विषय: विधानसभा सचिवालय उत्तराखण्ड से बर्खास्त 228 तदर्थ कार्मिकों की सर्वदलीय बैठक करवा कर पुनः बहाली किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि विधानसभा सचिवालय से बर्खास्त 228 कार्मिकों का पत्र प्राप्त हुआ जिसमें बताया गया कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। मैं पत्र के साथ दिनांक 14.02.2023 का पत्र संलग्न कर रहा हूँ।

मैं आशा करता हूँ कि आप सर्वदलीय बैठक या अपने स्तर से जो भी सम्भव हो इन कर्मचारियों के पक्ष में न्याय संगत कार्यवाही करें क्योंकि मुझे भी लग रहा है कि इनके साथ अन्याय हुआ है। एक ही राज्य में एक ही तरह से लगे कर्मचारियों के साथ अलग अलग भेदभाव किया जाना ठीक नहीं है।

आपसे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास करता हूँ कि आप 228 तदर्थ कर्मचारियों को पुनः बहाली अवश्य करेंगे

धन्यवाद,

भवदीय,

(डॉ० सुब्रमण्यम् स्वामी)

CC.

श्रीमती रितु खण्डूरी, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा सचिवालय, विधान भवन,
हरीद्वार रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड -248001

2. CM Vichlan approval- for 72 employees- without date

टीपें और आज्ञायें

(56)

मा० विल्ल/कार्मिक मंत्री/
मा० मुख्यमंत्री

नई विधान सभा के गठन से पूर्व गैरसैण
में विधान सभा के कार्यों को सुचारु रूप से
संचालन किये जाने एवं सम्पदाभाव के कारण
सीधी भर्ती न किये जाने के दृष्टिकोण मा०
अध्यक्ष विधान सभा द्वारा विशेष परिस्थितियों
में नई विधान सभा के गठन हेतु पूर्व तैयारियों
हेतु कामकाज व्यवस्था के अन्तर्गत निम्न अस्थायी
रूप से की गयी तदर्थ नियुक्तियां विषयक विधान
सभा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव "विचलन के माध्यम
से अनुमोदित ।

तदनुसार तदर्थ रूप नियुक्त कार्मिकों के
वेतन आहरण किये जाने की अनुमति प्रदान
की जाती है।

उक्त को अविव्य हेतु दृष्टांत न माना जाय।

सचिव (प्रधानी)
विधान सभा

(पुष्कर सिंह धामी)
मुख्यमंत्री
उत्तराखण्ड

24/11/2022 14:54

3. HC Order- Vidhansabha Backdoor PIL- dt. 30.11.2022

SL. No	Date	Office Notes, reports, orders or proceedings or directions and Registrar's order with Signatures	COURT'S OR JUDGES'S ORDERS
	30.11.2022		<p>WPPIL No. 160 of 2022</p> <p><u>Hon'ble Vipin Sanghi, C.J.</u> <u>Hon'ble Manoj Kumar Tiwari, J.</u></p> <p>Mr. Abhijay Negi, learned counsel for the petitioner.</p> <p>Issue notice.</p> <p>Ms. Mamta Bisht, learned Deputy Advocate General for the State, appears and accepts notice on behalf of respondent No. 1.</p> <p>Mr. Parikshit Saini, learned counsel, appears and accepts notice on behalf of respondent No. 2.</p> <p>Let counter-affidavits be filed within eight weeks.</p> <p>Rejoinder before the next date.</p> <p>List the matter on 01.05.2023.</p> <p>(Manoj Kumar Tiwari, J.) 30.11.2022</p> <p>(Vipin Sanghi, C.J.) 30.11.2022</p> <p>Negi</p>

4. Relevant part of WPPIL - Abhinav Thapar vs State - on Vidhansabha Backdoor Employment corruption issues

0

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF UTTARAKHAND AT
NAINITAL

COURT FEES

IN

WRIT PETITION (P.L.) NO. OF 2022

(Under Article 226 of the Constitution of India)

(District: Dehradun)


Abhinav Thapar

..... Petitioner

Versus

1. State of Uttarakhand through Principal Secretary, Legislative Affairs, 4, Subhash Road, Uttarakhand Secretariat, Dehradun-248001.
2. Uttarakhand Legislative Assembly through its Principal Secretary, Legislative Department, Vidhan Sabha, near Rispana Bridge, Dehradun, Uttarakhand.

..... Respondents



of the report dated 31/12/18 is being attached as **Annexure No. 6** to the present Petition.

17. That in this context, it merits to be noted that the Vidhan Sabha secretariat had issued an advertisement on 1st October 2021, advertising several posts for employees, who were to be given regular appointment in the Vidhan Sabha. A selection process was initiated and completed pursuant to these posts advertised, however, in unknown and bizarre manner, joining was offered to 72 persons as against far lesser number of advertised vacancies. This itself reveals the manner of pick and choose and arbitrariness that governs the conduct of the Uttarakhand Vidhan Sabha. A true copy of the advertisement dated 1st October 2021 is being attached as **Annexure no. 7** to the present petition.

18. That the present petition may not be at all be understood as an effort to take away or to defend anyone's employment or bread and butter. It is only an honest effort that is being made to ensure that transparency rules the roost in the functioning of Uttarakhand Vidhan Sabha that has been shredded, as is clear by various news reports. A true copy of various news reports that have reported on various irregularities in recruitment to Vidhan Sabha is being attached as **Annexure no. 8** to the present writ petition. The letters that are doing rounds also show how persons appointed in the Vidhan Sabha have themselves been given themselves the benefit of promotional pay scale without any system of checks and balance. A true copy of one such letter of the secretary dated 24th February 2022, that is popularly circulating in the social media and demoralising the common citizenis being attached as **Annexure no. 9** to the present petition.



19. That the contentions that are made by the present writ petition are not so much at variance with contents of a letter that have been authored by the Chief Minister of Uttarakhand to the speaker of the Vidhan Sabha.

25. That the petitioner is aware that certain litigation has already taken place before this Hon'ble court whereby the persons appointed were allowed relief by continuing in their service and consequently this Hon'ble Court was pleased to cancel the said order. However, that has no bearing on the present matter, inasmuch as the present writ petition does not at all deal with any individual person/persons who may be working or not working in the present Uttarakhand Vidhan Sabha. The present writ petition raises the larger issue of the administrative functioning of the Uttarakhand Vidhan Sabha and the irregularities attached thereto. Furthermore, the present writ petition is supported not only by the letter of the Hon'ble Chief Minister but also by Government Order issued on 06th February 2003 and the Expert Committee report to Vidhan Sabha as well as the public action that was taken by the Uttarakhand Vidhan Sabha Speaker to cancel all such appointments made. If all was well, then why all appointments in en masse cancelled by the Uttarakhand Vidhan Sabha speaker is another question which necessitates a judicial inquiry so that the truth is unearthed about the overall functioning of the Uttarakhand Vidhan Sabha. A true copy of the public announcement made by the Uttarakhand Vidhan Sabha speaker and endorsed by the Chief Minister with regard to the cancellation of all recruitments made to the Uttarakhand Vidhan Sabha is being attached as **Annexure no. 12** to the present writ petition.

26. That the petitioner has no other alternative efficacious remedy but to prefer the present writ petition under Article 226 of the Constitution of India.



GROUNDS

A. Because the State of Uttarakhand was created through the Uttar Pradesh Reorganisation Act of 2000. As per the said legislation,

in mass cancelled by the Uttarakhand Vidhan Sabha speaker is another question which necessitates a judicial inquiry so that the truth is unearthed about the overall functioning of the Uttarakhand Vidhan Sabha.

L. Because the petitioner has no other alternative efficacious remedy but to prefer the present writ petition under Article 226 of the Constitution of India.

PRAYER

Therefore in the light of the facts written issues raised arguments advanced and authorities cited it is most humbly requested before this Hon'ble court to:

- a. Issue a writ order or direction in the nature of mandamus commanding the State of Uttarakhand and the Uttarakhand Vidhan Sabha to submit all records pertaining to all recruitments made to all posts in the Uttarakhand Vidhan Sabha right from the inception of the State of Uttarakhand before this Hon'ble court in original.
- b. To constitute a high level judicial inquiry, by a special investigation team to be headed by judicial member, to look into the persons involved in perpetuating the illegalities in the highest law making body the State of Uttarakhand, the systemic failure so caused and to ensure that the said failure is not repeated in the future.



Issue a writ order or direction in the nature of mandamus commanding the Respondents No.1 and 2 to recover the expenses incurred in salary/allowances of irregularly appointed personnel from the officials involved in appointments of these ad-hoc appointments in Vidhan Sabha as per the Government Order dated 6th February 2003.

5. UK Govt GO- NO Adhoc & Recovery- dt. 06.02.2003

संख्या 1803/कार्मिक-2/2002

प्रेषक,

आसोक कुमार जैन,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

- 1-समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तरांचल शासन।
- 2-समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तरांचल।
- 3-समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

कार्मिक अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 06 फरवरी, 2003

निम्न-निम्न विभागों के अन्तर्गत तदर्थ/संविदा/नियत वेतन/दैनिक वेतन पर की जाने वाली नियुक्तियों पर रोक।
बहोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाये गये हैं कि कतिपय विभागों द्वारा श्रेणी 'ग' तथा श्रेणी 'घ' के कतिपय पदों पर अस्थायी/संविदा/तदर्थ/नियत वेतन तथा दैनिक वेतन पर नियुक्तियाँ की जा रही हैं और इस सम्बन्ध में किसी प्रक्रिया/मानदण्ड का अनुपालन भी नहीं किया जा रहा है। श्रेणी 'ग' सेवाओं/पदों पर नियुक्तियों के लिए सुसंगत सेवा नियमावलियों में भर्ती एवं चयन की प्रक्रिया प्रावधानित है। सेवाओं/पदों पर नियुक्तियाँ भर्ती एवं चयन के सुसंगत प्रावधानों के अनुसार आवेदन-पत्रों के खुले आमंत्रण पर चयन उपरान्त चयनित अभ्यर्थियों में से प्रवीणता क्रम में की जानी चाहिए। अन्यथा नियुक्तियों, जैसे दैनिक वेतन, नियत वेतन, तदर्थ नियुक्तियों से सेवा संवनों में विसंगतियाँ उत्पन्न होती हैं। ज्येष्ठता सम्बन्धी विवाद भी उत्पन्न होते हैं। शासन की आरक्षण नीति के अनुसार विभिन्न वर्गों या सेवाओं/पदों पर आरक्षण प्रतिशत रूप से प्रभावित होता है। जबकि प्रतिबन्ध होने के परिणाम में चयन की किसी प्रक्रिया का अनुपालन किये बिना की गई नियुक्तियाँ जहाँ एक ओर अनियमित नियुक्तियाँ हैं, वहीं दूसरी ओर ऐसी अनियमित नियुक्तियों के लम्बे समय तक बनाये रखने पर विधिविहीनता की मांग पड़ती है।

2. इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं:-

- (i) श्रेणी 'ग' तथा श्रेणी 'घ' के किसी भी पद पर दैनिक वेतन/तदर्थ/संविदा/नियत वेतन पर नियुक्ति नहीं की जायेगी। इस प्रकार की नियुक्तियों पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध रहेगा। यदि किन्हीं अपरिहार्य परिस्थितियों में तदर्थ नियुक्ति किया जाना आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा, समुचित प्रक्रिया निर्धारित करते हुए यथा सम्भव नियमावली में निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप हो, कार्मिक विभाग की सहमति के पर्याय भाग मंत्रिपरिषद् के अनुमोदन से ही किया जा सकेगा। ऐसी नियुक्ति अल्पकालिक होगी। उपरोक्त से भिन्न रूप में की गयी अनियमित नियुक्तियों को गम्भीर कदाचार समझा जायेगा। इस प्रकार की नियुक्ति के उपरान्त वेतन आहरण के प्रकरण प्रकाश में आने पर सम्बन्धित कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी द्वारा उनका वेतन काट दिया जायेगा।
- (ii) कोषाधिकारी/ज्येष्ठ कोषाधिकारी द्वारा ऐसी नियुक्ति के लिए प्रथम बार भुगतान हेतु बिल भेजे जाने पर सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी से उपरोक्त प्रस्तर 2 (1) के अनुसार अनुमोदन प्रक्रिया से नियुक्ति करने का प्रमाण-पत्र 2 प्रतियों में प्राप्त किया जायेगा। आहरण वितरण अधिकारी द्वारा उपरोक्तानुसार प्रमाण-पत्र न उपलब्ध कराने पर सम्बन्धित व्यक्ति का वेतन आहरण नहीं किया जायेगा।

आगामी माह के प्रथम सप्ताह में ऐसे प्राप्त प्रमाण-पत्रों की एक प्रति सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा सचिव, कार्मिक विभाग को पंजीकृत डाक/विशेष वाहक द्वारा प्रत्येक माह की 10 तारीख तक उपलब्ध करायी जायेगी।

- (iii) प्रस्तर 2 (1) के अनुसार की गयी नियुक्तियों को लम्बे समय तक नहीं चलाया जायेगा। सुसंगत सेवा नियमावली के प्रावधानों के अनुसार नियमित भर्ती एवं चयन कर प्रक्रिया शीघ्रताशीघ्र पूरी करके चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जायेगी।
- (iv) जिन नियुक्ति प्राधिकारियों/आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा इसका उल्लंघन करके अनियमित नियुक्तियाँ की जायेगी, उनके विरुद्ध अनियमित नियुक्तियाँ करने के लिए अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी और अनियमित नियुक्त कार्मिक के वेतन/भत्तों पर किये गये व्यय को उनसे वसूला जायेगा। शासन से उपरोक्तानुसार अनुभूति प्राप्त किये दिना की गयी अनियमित नियुक्तियों को सम्बन्धित नियोक्ता द्वारा तत्काल प्रक्रिया के अनुसार समाप्त किया जायेगा।
- (v) प्रस्तर 2 (1) में उल्लिखित रीति से भिन्न रीति से की गयी अनियमित नियुक्ति करने पर उसका वेतन आहरित होने पर इस आशय की प्रतिकूल प्रविष्टि सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी की चरित्र पंजीका में की जायेगी।
3. अतः अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

आलोक कुमार जैन,
सचिव।

6. Relevant part File approval - 72- 2021-



विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड
(अधिष्ठान अनुभाग)

संख्या : /वि०स०/533/अधि०/2017

देहरादून, दिनांक : मार्च, 2022

कार्यालय आदेश

सहमत
30.3.22
(गंगा प्रसाद)
अपर सचिव, वित्त।

कुल 72 पदों के शोषका

नई विधान सभा गठन से पूर्व विधान सभा सचिवालय मराडीसैण (गैरसैण) जनपद चमोली के कार्यों को सुचारु रूप से संचालित किये जाने एवं समयाभाव के कारण सीधी भर्ती न किये जाने के दृष्टिगत मा० अध्यक्ष, विधान सभा के आदेशानुसार विशेष परिस्थितियों में/नितान्त कामचलाक व्यवस्था के अन्तर्गत विधान सभा सचिवालय के विभिन्न आदेशों के द्वारा संलग्न सूची के अनुसार एक वर्ष अथवा नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी ~~सन्~~ है, तक ~~की गई तदर्थ नियुक्तियों को~~ वेतन आहरित किये जाने के निमित्त कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 1803/कार्मिक-2/2000, दिनांक 06 फरवरी, 2003 की अपेक्षानुसार मा० सचिवरिपद से प्राप्त अनुमोदन के क्रम में एक बार के लिए शिथिलता प्रदान करते हुए उक्त कार्मिकों का वेतन उनके योगदान की तिथि से वेतन आहरित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त को भविष्य हेतु दृष्टान्त नहीं माना जायेगा।
3. उक्त पद धारकों को शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशानुसार मंहगाई तथा अन्य भत्ते जो भी अनुमन्य हो, भी देय होंगे।
4. इस मद में होने वाला व्यय सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के आय व्ययक में अनुदान संख्या - 01 लेखाशीर्षक 2011- संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल-02-राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल-आयोजनेत्तर 103- विधान सभा 03- विधान सभा सचिवालय के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।
5. उक्त आदेश वित्त विभाग की अक्षासकीय संख्या -149/KXVII (7)/2022

दिनांक : 30 मार्च, 2022 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्नक :- सचो परि

(मुकेश सिंघल)
सचिव

संख्या : /वि०स०/533/अधि०/2017, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वरिष्ठ वित्त अधिकारी, साइबर टेजरी, देहरादून।
3. वित्त (वि०स०-सा० नि०) अनुभाग-7, उत्तराखण्ड शासन,
4. कार्मिक अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन,
5. लेखा अनुभाग, विधान सभा सचिवालय।

(मुकेश सिंघल)
सचिव

क्र०	नाम	पदनाम	वेतनमाला	तदर्थ नियुक्ति की तिथि
1	2	3	4	5
1	अमित रावत	स्वागती	लेवल-2	27 दिसम्बर, 2021
2	पिकी	स्वागती	लेवल-2	-तदर्थ-
3	मनीष कुवर	पुरुष रक्षक	लेवल-3	-तदर्थ-
4	विजय कुमार सुन्दरियाल	पुरुष रक्षक	लेवल-3	-तदर्थ-
5	रणजीत राम आर्य	पुरुष रक्षक	लेवल-3	-तदर्थ-
6	सुरेन्द्र प्रसाद आर्या	पुरुष रक्षक	लेवल-3	-तदर्थ-
7	रोहन चौहान	पुरुष रक्षक	लेवल-3	-तदर्थ-
8	रोमेश भट्ट	पुरुष रक्षक	लेवल-3	-तदर्थ-
9	प्रांजल नेगी	पुरुष रक्षक	लेवल-3	-तदर्थ-
10	संजय सिंह बोहरा	पुरुष रक्षक	लेवल-3	-तदर्थ-
11	विनीत सिंह शवत	पुरुष रक्षक	लेवल-3	-तदर्थ-
12	सुरज नवानी	पुरुष रक्षक	लेवल-3	-तदर्थ-
13	पूनम असवाल	महिला रक्षक	लेवल-3	-तदर्थ-
14	अरुणा देवी	महिला रक्षक	लेवल-3	-तदर्थ-
15	कु० शालिनी	महिला रक्षक	लेवल-3	-तदर्थ-
16	नैन्सी पयाल	महिला रक्षक	लेवल-3	-तदर्थ-
17	रीना कुवर	महिला रक्षक	लेवल-3	-तदर्थ-
18	दीपा बेलवाल	महिला रक्षक	लेवल-3	-तदर्थ-
19	विनीता थपलियाल	सूचीकार	लेवल-5	-तदर्थ-
20	राजन रावत	सूचीकार	लेवल-5	-तदर्थ-
21	संयम सिंह मेहता	कम्प्यूटर आपरेटर	लेवल-5	-तदर्थ-
22	गौरंग गर्ग	कम्प्यूटर आपरेटर	लेवल-5	-तदर्थ-
23	कंचन रावत	कम्प्यूटर सहायक	लेवल-4	-तदर्थ-
24	बबीता भट्ट	कम्प्यूटर सहायक	लेवल-4	-तदर्थ-
25	विवेक जोशी	कम्प्यूटर सहायक	लेवल-4	-तदर्थ-
26	मीनाकक्षी शर्मा	कम्प्यूटर सहायक	लेवल-4	-तदर्थ-
27	छाया	कम्प्यूटर सहायक	लेवल-4	-तदर्थ-
28	अनुमा	कम्प्यूटर सहायक	लेवल-4	-तदर्थ-
29	मनोज सिंह नकोटी	कम्प्यूटर सहायक	लेवल-4	-तदर्थ-

से-149/KXXV(7)/2020 दिनांक 30-3-2022

2022

30	शिवम गौतम	कम्प्यूटर सहायक	लेवल-4	-तदैव-
31	मनमोहन पोखरियाल	व्यवस्थापक	लेवल-7	-तदैव-
32	राजेश कुमार	व्यवस्थापक	लेवल-7	-तदैव-
33	अजय नेगी	उप प्रोटाकाल अधिकारी	लेवल-7	-तदैव-
34	संदीप असवाल	उप प्रोटाकाल अधिकारी	लेवल-7	-तदैव-
35	ओमिका पन्त	सहायक समीक्षा अधिकारी (शोध एवं सन्दर्भ)	लेवल-7	-तदैव-
36	गौरव सिंह	सहायक समीक्षा अधिकारी (शोध एवं सन्दर्भ)	लेवल-7	-तदैव-
37	सीमा विष्ट	सहायक समीक्षा अधिकारी (शोध एवं सन्दर्भ)	लेवल-7	-तदैव-
38	स्वेता बडोनी	सहायक समीक्षा अधिकारी (शोध एवं सन्दर्भ)	लेवल-7	-तदैव-
39	सुनील कुमार	सहायक समीक्षा अधिकारी (शोध एवं सन्दर्भ)	लेवल-7	-तदैव-
40	नेहा कन्तुरा	सहायक समीक्षा अधिकारी (शोध एवं सन्दर्भ)	लेवल-7	-तदैव-
41	बद्री प्रसाद	सहायक समीक्षा अधिकारी (शोध एवं सन्दर्भ)	लेवल-7	-तदैव-
42	भीमी	सहायक समीक्षा अधिकारी (शोध एवं सन्दर्भ)	लेवल-7	-तदैव-
43	एकाकी धामी	सहायक समीक्षा अधिकारी (शोध एवं सन्दर्भ)	लेवल-7	-तदैव-
44	अभिषेख डोडियाल	सहायक समीक्षा अधिकारी	लेवल-7	-तदैव-
45	सूर्य प्रताप सिंह राणा	सहायक समीक्षा अधिकारी	लेवल-7	-तदैव-
46	विमल कान्त	सहायक समीक्षा अधिकारी	लेवल-7	-तदैव-
47	सतेन्द्र सिंह	सहायक समीक्षा अधिकारी	लेवल-7	-तदैव-
48	प्राकुर कुमार	सहायक समीक्षा अधिकारी	लेवल-7	-तदैव-
49	स्वेता उनीयाल	सहायक समीक्षा अधिकारी	लेवल-7	-तदैव-
50	मानवेन्द्र सिंह रावत	समीक्षा अधिकारी	लेवल-8	-तदैव-
51	निखिल सजवाण	समीक्षा अधिकारी	लेवल-8	-तदैव-
52	ऑचल पोखरियाल	समीक्षा अधिकारी	लेवल-8	-तदैव-
53	दीपक यादव	समीक्षा अधिकारी	लेवल-8	-तदैव-
54	लोकेश कुमार	समीक्षा अधिकारी	लेवल-8	-तदैव-
55	रचना	समीक्षा अधिकारी	लेवल-8	-तदैव-
56	रीता रानी	समीक्षा अधिकारी	लेवल-8	-तदैव-
57	अमित कुमार वर्मा	समीक्षा अधिकारी	लेवल-8	-तदैव-

सं- 149/XV/11(2)/2022 दिनांक 31-3-2022

01/4
20/3/22

(Signature)

58	सोनम सजवाण	समीक्षा अधिकारी	लेवल-8	-तदैव-
59	सिद्धार्थ सजवाण	सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा	लेवल-7	-तदैव-
60	शिवानी मोगां	सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा	लेवल-7	-तदैव-
61	सीमा	सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा	लेवल-7	-तदैव-
62	रीचा रावत	सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा	लेवल-7	-तदैव-
63	हरि प्रकाश	अपर निजी सचिव	लेवल-8	-तदैव-
64	मन्जू देवी	अपर निजी सचिव	लेवल-8	-तदैव-
65	रवीन्द्र नाकोटी	अपर निजी सचिव	लेवल-8	-तदैव-
66	विजय सिंह विष्ट	अपर निजी सचिव	लेवल-8	-तदैव-
67	रवीश चड्ढा	अपर निजी सचिव	लेवल-8	-तदैव-
68	मनीष वर्मा	संपादक	लेवल-10	-तदैव-
69	आदित्य सैनी	संपादक	लेवल-10	-तदैव-
70	इसान्त कुमार	संपादक	लेवल-10	-तदैव-
71	निखिल	प्रतिवेदक	लेवल-10	-तदैव-
72	आषीश गोयल	प्रतिवेदक	लेवल-10	-तदैव-

सं- 149/XXV/11(7)/2022 दिनांक 30-3-2022

30.3.22

(मुकेश सिंघल)
सचिव।



टीपें और आज्ञायें

वित्त (वि०अ०-सा०नि०) अनुभाग-7 में टिप्पणी

उप सचिव

कृपया नोट पृष्ठ-06 पर अंकित प्र० वि० की टीप के क्रम में नोट पृष्ठ-09 पर कार्मिक विभाग की टीप का अवलोकन करना चाहें। प्र० वि० द्वारा विधान सभा सचिवालय में सीधी भर्ती हेतु स्वीकृत पदों के सापेक्ष तदर्थ रूप से नियुक्त किये गये कार्मिकों के वेतन भुगतान के सम्बन्ध में वित्त विभाग का परामर्श/सहमति हेतु पत्रावली सन्दर्भित की गयी है।

2. कार्मिक विभाग द्वारा नोट पृष्ठ-06 पर परामर्शित किया गया है कि कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-1803 दिनांक 06 फरवरी, 2003 एवं प्र० वि० (विधान सभा सचिवालय) की सेवानियमावली के प्रावधान के दृष्टिगत तदर्थ नियुक्तियां हो जाने के पश्चात् कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के परामर्श का अवसर नहीं है तथा वेतन भुगतान के सम्बन्ध में प्र० वि० वित्त विभाग का परामर्श प्राप्त करते हुए अग्रोत्तर कार्यवाही कर सकते हैं।

3. कार्मिक विभाग के उक्त शासनादेश दिनांक 06 फरवरी, 2003 के प्रस्तर-2(i) में व्यवस्था उपबन्धित है कि "किसी भी पद पर दैनिक वेतन/ तदर्थ/सविदा/नियत वेतन पर नियुक्ति नहीं की जायेगी। इस प्रकार की नियुक्तियों पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध रहेगा। यदि किन्हीं अपरिहार्य परिस्थितियों में तदर्थ नियुक्ति किया जाना आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा, समुचित प्रक्रिया निर्धारित करते हुए यथा सम्भव नियमावली में निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप हो, कार्मिक विभाग की सहमति के पश्चात् मा० मंत्रिपरिषद् के अनुमोदन से ही किया जा सकेगा।....."

4. उत्तराखण्ड विधान सभा सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तों) की नियमावली, 2011 एवं कार्मिक विभाग के उक्त शासनादेश के क्रम में तदर्थ रूप से नियुक्त किये गये कार्मिकों के वेतन भुगतान के सम्बन्ध में वित्त विभाग की सहमति दिये जाने का अवसर नहीं है।

कृपया उपर्युक्त से अवगत होते हुए सहमति की दशा में उक्तावत् परामर्श के साथ पत्रावली प्र० वि० को वापिस करना चाहें।

6/1/2022
6/1/2022
विभाग की टीप एवं 36रोष पर प्रस्तर-4 के अन्तर्गत से विज्ञापित की गयी भर्ती विज्ञापित उचित अतीत नहीं होना ही यह निर्णय है।
उपर सचिव
06.01.2022
(श्री प्रकाश तिवारी)
उप सचिव, वित्त
कारखाना इलाहाबाद

सचिव
06/01/22
1) उक्त नियुक्तियों पूर्णतः अतिरिक्त हैं।
2) प्र० सं-09, प्र० प्रस्तर 4 की शर्त है, कि तदर्थ नियुक्तियां नहीं हो सकती हैं।
3) उक्त उक्त विज्ञापित विज्ञापित की शर्त है।
06/01

मा० वित्त मंत्रालय/मा० भुगतान विभाग

विभाग
पत्रावली संख्या

टीपें और आजायें
वित्त (वि०आ०-सा०नि०) अनुभाग-7 में टिप्पणी

उप सचिव

कृपया नोट पृष्ठ-12 पर अंकित प्र० वि० की टीप का अवलोकन करना चाहें। प्र० वि० द्वारा विधान सभा सचिवालय में सीधी भर्ती हेतु स्वीकृत पदों के सापेक्ष तदर्थ रूप से नियुक्त किये गये कर्मिकों के वेतन भुगतान विषयक आलेख्य विधीक्षण हेतु पत्रावली सन्दर्भित की गयी है।

2. प्र० वि० के प्रस्ताव पर "विचलन" के माध्यम से मा० मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त है। प्र० वि० द्वारा पत्रावली में रक्षित आलेख्य देख लिया गया है। आलेख्य में कतिपय कमियों को इंगित कर दिया गया है। शेष आलेख्य सही है। अतः मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के समादर में आलेख्य पर वित्त विभाग की सहमति दिये जाने पर कोई आपत्ति प्रतीत नहीं हो रही है।

कृपया उपर्युक्त से अवगत होते हुए सहमति की दशा में आलेख्य पर अपर सचिव महोदय की सहमति उपरान्त पत्रावली प्र० वि० को वापिस लाना चाहें।

[Handwritten signature]
31/1/2022
07.01.2022

[Handwritten signature]
निदेशार्थ।

[Handwritten signature]
उपर सचिव

[Handwritten signature]
07.01.2022
(श्री प्रकाश लिवसी)
उप सचिव, वित्त
उत्तराखण्ड शासन

अवलोकनार्थ प्रस्तुत।

[Handwritten signature]
सचिव

[Handwritten signature]
07.01.22

[Handwritten signature]
21.2.22
21.2.22

As mcc has come into force, Admin Dept. is advised to put up file after mcc.

[Handwritten signature]
10/01
12/1/22

[Handwritten signature]

Secy-VS

(राधा रतुड़ी)
अपर मुख्य सचिव
उच्च शिक्षा, सचिवालय प्रशा०,
ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा
उत्तराखण्ड शासन

प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव महोदय की मुख्य सचिव महोदय एवं मा० वित्त मंत्री जी से वार्ता हुई।

2- नये विधान सभा गठन से पूर्व विधानसभा सचिवालय भराडीसैण (गैरसैण), जनपद चमोली के कार्यों को सुचारु रूप से संचालित किये जाने एवं समयभाव के कारण नियमित भर्ती न किये जाने के दृष्टिगत मा० अध्यक्ष, विधानसभा के आदेशानुसार विशेष परिस्थितियों में नितान्त कामचलाऊ व्यवस्था के अन्तर्गत विधान सभा सचिवालय के विभिन्न आदेशों के द्वारा विभिन्न संवर्गों में सृजित पदों के सापेक्ष कुल 72 पदों पर तदर्थ नियुक्तियां की गयी हैं।

3- पत्रावली के पृष्ठ 11 पर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा विशेष परिस्थितियों में नई विधानसभा के गठन हेतु पूर्व तैयारियों हेतु कामचलाऊ व्यवस्था के अन्तर्गत नितान्त अस्थाई रूप से की गयी उक्त तदर्थ नियुक्तियों विषयक विधानसभा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को विचलन के माध्यम से अनुमोदित किया गया है साथ ही उक्त कार्मिकों के वेतन आहरण किये जाने के सम्बन्ध में भी अनुमति प्रदान की गयी है।

4- उक्त के क्रम में प्र०वि० द्वारा उक्त कार्मिकों के वेतन आहरित किये जाने के सम्बन्ध में आलेख्य वित्त विभाग की सहमति हेतु प्रस्तुत किया गया है। आलेख्य में कतिपय त्रुटियां हैं, जिन्हें इंगित कर दिया गया है। आलेख्य के चतुर्थ पंक्ति में उल्लिखित शब्द "जो भी बाद में हो" के स्थान पर "जो भी पहले हो" अंकित कर दिया गया है। साथ ही आलेख में तदर्थ रूप से की गयी नियुक्तियों की संख्या (72) का उल्लेख कर दिया गया है। पत्रावली के पृष्ठ 11 पर मा० मुख्यमंत्री द्वारा नितान्त अस्थाई व्यवस्था के अन्तर्गत प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में उक्त कार्मिकों के वेतन आहरण की अनुमति एक वर्ष अथवा नियमित नियुक्ति अथवा 28 फरवरी 2023, 'जो भी पहले हो' तक प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। प्र०वि० आदेश जारी करने से पूर्व मा० विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति भी प्राप्त कर लेंगे।

5- कृपया यथासंशोधित आलेख्य पर वित्त विभाग की सहमति व्यक्त करना चाहें। आलेख्य पर सहमति व्यक्त करने से पूर्व पत्रावली अपर मुख्य सचिव महोदय को अवलोकित कराना चाहें।

30/3/2022
30.3.2022
अपर मुख्य सचिव
अनुमोदित/ अनुमोदनार्थ प्रस्तुत
30.3.2022
30/3/22
30.3.2022
D.S. fin

7. RTI copy - 228 Cancellation File

पंजीकृत



विधान सभा सचिवालय

उत्तराखण्ड

(सूचना का अधिकार)

संख्या: /०३० /वि०स०/179/सू०का अ०/2022
देहरादून, दिनांक : २३ नवम्बर, 2022

श्री अग्निव थापर, 217,
2nd फ्लोर, राज प्लाजा,
75 राजपुर रोड, देहरादून।

कृपया आपका सूचना आवेदन पत्र दिनांक 29.09.2022 जो लोक सूचना अधिकारी/अनुभाग अधिकारी, कार्मिक एवं सर्तकता अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के पत्र संख्या-239/आर०टी०आई० /का०ए०स०-2/2022, दिनांक 06.10.2022 के माध्यम से इस सचिवालय में दिनांक 12.10.2022 को प्राप्त हुआ है, के क्रम में आप द्वारा वांछित इस सचिवालय से संबंधित सूचना-

क्रमांक	आवेदक द्वारा मांगी गयी सूचना	प्रतिउत्तर
01	<p>बिन्दु संख्या 01- दिनांक 01.01.2021 से 29.09.2022 तक सरकारी पत्रावली की नोटशीट (ऑनलाईन तथा ऑफलाईन) दोनों की प्रमाणित प्रति।</p> <p>बिन्दु संख्या 02- दिनांक 01.10.2021 के विज्ञापन के द्वारा विधान सभा की भर्तियों के संबंध में दिनांक 01.01.2021 से 29.09.2022 तक उपरिवर्णित पत्रावलियों के पत्र/आदेश/विचाराधीन पत्र/पत्राचार की प्रमाणित प्रति।</p> <p>बिन्दु संख्या 03-उपरोक्त विषय में दिनांक 01.01.2021 से 29.09.2022 तक उत्तराखण्ड सरकार को प्राप्त शिकायतों (ई-मेल, पत्र तथा पोस्ट) व उन शिकायतों पर उत्तराखण्ड सरकार द्वारा की गई कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।</p>	के संबंध में अतगत कराना है कि प्रश्नगत कार्मिकों की नियुक्ति मा० अध्यक्ष विधान सभा द्वारा निरस्त कर दी गयी है तथा प्रश्नगत प्रकरण मा० उच्च न्यायालय नैनीताल में विचाराधीन है। निर्णयोपरांत ही वांछित सूचना उपलब्ध करायी जा सकेगी।
02	<p>बिन्दु संख्या 04- अमर उजाला की दिनांक 24 सितम्बर 2022 की खबरों के अनुसार 250 डेकडोर नियुक्तियों की सेवा निरस्त करने के संबंध में अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा सरकार को भेजे गए प्रस्ताव की प्रमाणित प्रति।</p> <p>बिन्दु संख्या 05- बिन्दु संख्या 04 में उल्लिखित 250 डेकडोर नियुक्तियों के संबंध में उत्तराखण्ड सरकार के निरस्तीकरण आदेश की प्रमाणित प्रति।</p>	की सूचना 02 पृष्ठ में संलग्न है।(पृष्ठ क्रमांक 01 से 02)

यदि आप इस सूचना से संतुष्ट नहीं हैं, तो इस पत्र की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर विभागीय अपीलीय अधिकारी जिनका पता निम्नवत है, अपील कर सकते हैं।

विभागीय अपीलीय अधिकारी का नाम व पता

श्री नीरज थापा,
उप सचिव, उत्तराखण्ड विधान सभा।

भवदीय,

(मनोज कुमार)

अनु सचिव,

लोक सूचना अधिकारी।

o/c

विधान सभा सचिवालय में वर्ष 2016 तक हुई 150 तदर्थ नियुक्तियां, 2020 में हुई 06 तदर्थ नियुक्तियां तथा वर्ष 2021 में हुई 72 तदर्थ नियुक्तियों के मामलों में अनियमितताओं की प्राप्ति शिकायतों का संज्ञान लेते हुए विधान सभा अध्यक्ष के रूप में अधोहरस्ताक्षरीकर्ता द्वारा एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया तथा इन तदर्थ नियुक्तियों के सम्बन्ध में अनियमितताओं के आरोपों की जांच की जिम्मेदारी दी गयी।

इसी सम्बन्ध में मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा 01 सितम्बर, 2022 को एक अद्विशासकीय पत्र भी प्रेषित किया गया था (संलग्नक-1)।

जांच समिति ने अपनी जांच में पाया कि ऊपर उल्लिखित तदर्थ भर्तियों में अनेक अनियमितताएँ हैं और यह सिफारिश की है कि नियम विरुद्ध इन तदर्थ भर्तियों का निम्न कारणों से निरस्त कर दिया जाए।

- 1 सेवा के विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिये निर्धारित चयन समिति का गठन नहीं किया गया। इस प्रकार यह तदर्थ नियुक्तियां चयन समिति के माध्यम से नहीं की गयी है।
- 2 तदर्थ नियुक्ति किये जाने हेतु कोई विज्ञापन नहीं दिया गया और न ही कोई सार्वजनिक सूचना दी गयी और न ही रोजगार कार्यालय से नाम मंगाये गये।
- 3 तदर्थ नियुक्ति किये जाने हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र नहीं मांगे गये, केवल व्यक्तिगत आवेदन पत्रों पर नियुक्ति प्रदान कर दी गयी।
- 4 तदर्थ नियुक्ति किये जाने हेतु कोई प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित नहीं की गयी।

इन तदर्थ भर्तियों के लिये सभी पात्र एवं इच्छुक अभ्यर्थियों को समानता का अवसर प्रदान नहीं करके भारत के संविधान के अनुच्छेद-14 एवं अनुच्छेद-16 का उल्लंघन हुआ है।


यह उल्लेखनीय है कि कार्मिक विभाग के 06 फरवरी, 2003 के शासनादेश द्वारा विभिन्न विभागों के अन्तर्गत तदर्थ/सविदा/नियत वेतन/दैनिक वेतन पर की जाने वाली नियुक्तियों पर रोक लगाई गयी है। नियमानुसार तदर्थ नियुक्तियों के पद सृजन तथा उन पर नियुक्त कार्मिकों के वेतन आहरण के लिये शासन का अनुमोदन अनिवार्य है।

प्रमाणित प्रति



लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

(अगले पृष्ठ पर)

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

विभाग
पत्रावली संख्या

-2-

62

टीपें और आज्ञायें

अधोहस्ताक्षरीकर्ता ने जॉब समिति की रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए इन 228 तदर्थ नियुक्तियों को निरस्त करने का निर्णय लिया है।

इन तदर्थ पदों का सृजन एवं उन पर नियुक्त कार्मिकों की नियुक्ति एवं वेतन आहरण हेतु शासन द्वारा वित्तीय स्वीकृति दी गयी है, अतः इन तदर्थ पदों पर नियुक्त तदर्थ कार्मिकों की सेवाएं समाप्त करने के लिये शासन का अनुमोदन आवश्यक है।

आपसे विनम्र आग्रह है कि ऊपर उल्लिखित नियम विरुद्ध तदर्थ नियुक्तियों को निरस्त करने हेतु शासन की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।

शासन के अवलोकनार्थ वर्ष 2016 तक की तदर्थ नियुक्तियों की सूची, वर्ष 2020 तथा 2021 में की गयी नियुक्तियों की सूचियां निम्नानुसार सलंगन की गयी हैं।

वर्ष 2016 की तदर्थ नियुक्तियों में शासन की स्वीकृतियां सम्बन्धी- पृष्ठों की छायाप्रतियां सलंगनक- पर उपलब्ध हैं।

वर्ष 2020 की तदर्थ नियुक्तियों में शासन की स्वीकृतियां सम्बन्धी- पृष्ठों की छायाप्रतियां सलंगनक- पर उपलब्ध हैं।

वर्ष 2021 की तदर्थ नियुक्तियों में शासन की स्वीकृतियां सम्बन्धी- पृष्ठों की छायाप्रतियां सलंगनक- पर उपलब्ध हैं।

विनम्र आग्रह है कि शासन की स्वीकृति यथासम्भव शीघ्र प्रदान करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करें।

सलंगनक- उपरोक्तानुसार।

माननीय मुख्य-मंत्री जी

Yash Prasad
Hent

23/9/2022
एकत्र सिद्ध कर्मी
मुख्यमंत्री

J. K. Singh
23/9/22

(ऋतु खण्डूड़ी भूषण)
अध्यक्ष, विधानसभा
ऋतु खण्डूड़ी भूषण
अध्यक्ष
विधान सभा उत्तराखण्ड

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

8. VS Committee report- 20.09.2022

विधान सभा सचिवालय
की अधिसूचना / प्रकीर्ण संख्या :
318 / वि०स० / 738 / अधि० / 2022
देहरादून, दिनांक : 03 सितम्बर, 2022
के अनुसार माननीय अध्यक्ष, उत्तराखण्ड
विधान सभा द्वारा गठित
विशेषज्ञ समिति की जांच आख्या
देहरादून, दिनांक 20 सितम्बर, 2022


2015 तथा उत्तराखण्ड विधान सभा सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) (संशोधन) नियमावली, 2016 के आधार पर किया गया।

11. प्रस्तर संख्या 10 में उल्लेख की गयी नियमावलियों के आधार पर विधान सभा सचिवालय में सीधी भर्ती के आधार पर की गयी अनेक नियुक्तियां नियम विरुद्ध पायी गयी हैं। इन नियुक्तियों में नियमावलियों के अनेक प्राविधानों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है तथा अपनायी गयी प्रक्रिया विधि सम्मत नहीं है। इन नियुक्तियों में नियमावलियों के निम्न प्राविधानों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया गया है :-

- (i) सेवा के विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिये नियमों में निर्धारित चयन समिति का गठन नहीं किया गया है। इस प्रकार तदर्थ नियुक्तियां चयन समिति के माध्यम से नहीं की गयी हैं।
 - (ii) तदर्थ नियुक्ति किये जाने हेतु कोई विज्ञापन नहीं दिया गया और न ही कोई सार्वजनिक सूचना दी गयी है और न ही राजकीय रोजगार दफ्तर से नाम प्राप्त किये गये हैं।
 - (iii) तदर्थ नियुक्ति किये जाने हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र नहीं मांगे गये। मात्र व्यक्तिगत आवेदन पत्रों पर नियुक्ति प्रदान की गयी है। इन व्यक्तिगत आवेदन पत्रों में विधान सभा सचिवालय में नियुक्ति दिये जाने का अनुरोध किया गया तथा इन व्यक्तिगत आवेदन पत्रों पर नियुक्ति प्रदान कर दी गयी है।
 - (iv) तदर्थ नियुक्ति किये जाने हेतु कोई प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित नहीं की गयी।
 - (v) तदर्थ नियुक्ति करते समय सेवा नियमावलियों के प्राविधानों के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की कार्यवाही नहीं की गयी।
12. विधान सभा सचिवालय में वर्ष 2001 से 2022 तक की गयी तदर्थ नियुक्ति हेतु सभी पात्र एवं इच्छुक अभ्यर्थियों को समानता का अवसर प्रदान नहीं करके भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 तथा अनुच्छेद 16 का उल्लंघन किया गया है।

13. विधान सभा सचिवालय द्वारा समिति के संज्ञान में यह लाया गया कि उत्तराखण्ड विधान सभा सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) की नियमावली, 2011 के नियम 3(ज) के परन्तुक द्वारा वर्ष 2001 से लेकर वर्ष 2015 तक की समस्त 168 तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण वर्ष 2013 तथा वर्ष 2016 में कर दिया गया है। समिति द्वारा विनियमितीकरण के अभिलेखों का अध्ययन एवं परीक्षण किया गया। यद्यपि सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) की नियमावली, 2011 के

13. 4



“(1) सेवा के विभिन्न पदों पर पदोन्नति के सभी पदों के लिये मा0 अध्यक्ष विधान सभा की अध्यक्षता में एक चयन समिति निम्नवत् गठित की जायेगी :-

(क) मा0 संसदीय कार्य मंत्री – सदस्य

(ख) यदि अध्यक्ष या उपर्युक्त खण्ड (क) पर उल्लिखित सदस्य अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन जातियों के न हों तो, मा0 अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का विधान सभा का कोई एक अन्य सदस्य,

यदि अध्यक्ष या उपर्युक्त खण्ड (क) पर उल्लिखित सदस्य अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन जातियों के हों तो, मा0 अध्यक्ष द्वारा विधान सभा का एक ऐसा अन्य सदस्य नाम निर्दिष्ट किया जायेगा, जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का न हो, सदस्य,

(ग) यदि अध्यक्ष के उपर्युक्त खण्ड (क) पर उल्लिखित सदस्य अन्य पिछड़े वर्ग के न हो तो मा0 अध्यक्ष द्वारा विधान सभा का अन्य पिछड़ी जाति का एक सदस्य नाम निर्दिष्ट किया जायेगा, और यदि अध्यक्ष या उपर्युक्त खण्ड (क) पर उल्लिखित सदस्य अन्य पिछड़े वर्गों के न हों तो, मा0 अध्यक्ष द्वारा विधान सभा का एक ऐसा अन्य सदस्य नाम निर्दिष्ट किया जायेगा जो अन्य पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन जातियों का न हो – सदस्य

(घ) सचिव/प्रमुख सचिव विधान सभा – सदस्य सचिव

परन्तु यह और कि जहां सचिव/प्रमुख सचिव के पद पर पदोन्नति की जा रही हो, वहां अध्यक्ष विधान सभा द्वारा नामित शासन के कार्मिक या न्याय अथवा विधायी विभाग का प्रमुख सचिव सदस्य सचिव होगा।

उपरोक्त यह है कि चयन समिति में गणपूर्ति के लिये न्यूनतम तीन सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

- (2) पदोन्नति द्वारा भर्ती गुणानुक्रम/ज्येष्ठता (जहां लागू न हो छाड़ दें) अनुपयुक्त को छोड़कर, के आधार पर नियम 18 के अधीन गठित चयन समिति द्वारा की जायेगी।
- (3) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गुणानुक्रम के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जायेगी और उनकी सेवा पुस्तिका सहित चयन समिति के समक्ष रखी जायेगी।
- (4) चयन समिति द्वारा उपनियम (2) एवं (3) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार किया जायेगा।
- (5) चयन समिति चयनित अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता के आधार पर सूची तैयार कर उसे नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित करेगी।”

21. श्री मुकेश सिंघल को सचिव के पद पर तदर्थ रूप से प्रोन्नत किया गया है। उत्तराखण्ड विधान सभा सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियमावली, 2011 तथा इस नियमावली में 2015 एवं 2016 में किये गये संशोधन के अन्तर्गत सचिव के पद पर तदर्थ रूप से प्रोन्नत किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

22. श्री मुकेश सिंघल को सचिव के पद पर चयन समिति की संस्तुति की प्रत्याशा में प्रोन्नत किया गया है। उत्तराखण्ड विधान सभा सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियमावली, 2011

18

अधिकारी हैं अतः वह संयुक्त सचिव की प्रशासनिक संवर्ग में स्थानान्तरित नहीं हो सकते थे। अतः वित्त विभाग के प्रतिबन्ध/शर्त के अनुसार दिनांक 24 अगस्त, 2021 का श्री मुकेश सिंघल की तदर्थ रूप में संयुक्त सचिव (प्रशासनिक संवर्ग) पद पर पदोन्नति नहीं हो सकती थी। चूंकि श्री सिंघल शोध एवं संदर्भ संवर्ग के अधिकारी हैं अतः दिनांक 17 अगस्त, 2021 को संयुक्त सचिव (शोध एवं संदर्भ) के पद पर ही वह तदर्थ रूप से प्रोन्नत हुये। इस प्रकार श्री मुकेश सिंघल की 17 अगस्त, 2021 को संयुक्त सचिव (शोध एवं संदर्भ) के पद पर तदर्थ रूप से प्रोन्नति के पश्चात दिनांक 24 अगस्त, 2021 को प्रशासनिक शाखा के संयुक्त सचिव के पद पर पुनः तदर्थ प्रोन्नति पर नियुक्त किया जाना विधि सम्मत नहीं है।

28. इस प्रतिवेदन के प्रस्तर-17 से प्रस्तर-27 तक दिये गये उक्त विवरण के आधार पर समिति का यह मत है कि श्री मुकेश सिंघल की संयुक्त सचिव (प्रशासनिक संवर्ग), अपर सचिव तथा सचिव के पद पर की गयी तदर्थ प्रोन्नति अनुमन्य नहीं है। अतः श्री मुकेश सिंघल की संयुक्त सचिव (प्रशासनिक संवर्ग), अपर सचिव तथा सचिव के पद पर की गई तदर्थ पदोन्नतियों को निरस्त करते हुए श्री सिंघल को संयुक्त सचिव (शोध एवं संदर्भ) के पद पर तैनात किया जाये।

Handwritten signature and initials in black ink. The signature is a cursive script, and the initials 'G. V.' are written above it. There is also a small mark to the right of the signature.